न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/90/2025	2025/106	06.03.2025	19.11.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र नाथू जाति गुर्जर सा0 दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02—श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —अप्रार्थी वकील

—:निर्णयः—

प्रार्थी तहसीलदार थानागजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 464 रकबा 1.26 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी के आदेश दिनांक 03.09.1975 के द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 1.26 है0 भूमि आवंटित की गई थी। जिसका सन् 1975 में नामान्तकरण संख्या 49 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि पटवारी हल्का दुहारचौगान की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर संवत 2033 से 2063 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है। पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी एवं द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता व दादा श्री गंगासहाय पुत्र श्री नाथू गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 11—01—2022 को हो गया था, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थीगण लल्लूराम, घनश्याम पुत्रान एवं हीरालाल व प्रहलाद पुत्रान स्व० प्रभुदयाल पौत्रान हैं। आवंटित आराजी प्रार्थीगण के पिता—दादा स्व० श्री गंगासहाय को दिनांक 03.09.1975 को आवंटन हुई थी, जिसका कब्जा लेने के बाद गैर—खातेदारी जरिये नामान्तरण संख्या 49 प्राप्त हुई थी।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उपरोक्त आराजी वक्त आवंटन बारानी तृतीय तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 269 पर गंगासहाय पुत्र नाथू गुर्जर साकिन देह गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी में सिचाई का साधन नहीं होने के कारण प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर होने के कारण वारिस होने पर ही बाजरा आदि की फसल प्रार्थीगण व उनके पिता व दादा के समय से ही होती चली आ रही है। जब तक हमारे पिता व दादा गंगासहाय जीवित रहे वो ही अपनी आवंटनशुदा गैरखातेदारी की आराजी पर कार्य काश्तकारी करते रहे और उनके स्वर्गवास के बाद हम प्रार्थीगण उक्त आराजी पर बदस्तूर कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। तहसीलदार साहब ने धारा 14 (4) की कार्यवाही श्रीमान न्यायालय में कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड गैरखातेदारी का अंकन स्व० गंगासहाय के नाम से बदस्तूर सन 1975 से आज तक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2080 तक अंकन मौजूद होने के बावजूद भी खिलाफ कानून की है जो खारिज होने योग्य है।

पटवारी हल्का ने विवादित आराजी बाबत दिनांक 26—12—24 को मौके की रिपोर्ट पेश की है, जो स्पष्ट रूप से मौके व कब्जे के खिलाफ है। मौका निरीक्षण करते समय आवंटी स्व० श्री गंगासहाय के वारिसान हम अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित होने की कोई सूचना नहीं दी गई तथा स्वयं अकेले ने ही मनमाने तरीके से मौके के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है जो विधि अनुसार स्वीकार होने योग्य नहीं है। विवादित आराजी पर आवंटी स्व० श्री गंगासहाय एवं उनके वारिसान का कब्जा काश्त आवंटन सन 1975 से ही आज तक बदस्तूर चला आ रहा है जिसका समर्थन तहसीलदार/पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट साबित हो रहा है।

आवंटी अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर संवत 2030 से ही कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। संवत 2030 से 2033 की खसरा गिरदावरी में बाजरा की फसल का अंकन है उसके बाद संवत 2068 से 2080 तक की खसरा गिरदावरी में बाजरा की फसल का अंकन स्पष्ट रूप से हो रहा है जिस वर्ष बरसात नही होती है उस वर्ष आराजी पडत रह जाती है। उक्त खसरा गिरदावरी जो पटवारी हल्का द्वारा तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश कर रखी है उनमें जब जब वर्षा हुई तब तब फसल आवंटी द्वारा की गई है जिसका अंकन स्पष्ट रूप से दर्ज हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है व खारिज होने योग्य है। आवंटी स्व० श्री गंगासहाय को विवादित आराजी दिनांक 03—09—1975 को आवंटन हुई थी जिसे करीब 50 साल से अधिक का समय हो चुका है। तहसील के कर्मचारियों को आवंटन के बाद स्वतः ही 10 वर्ष होने पर नियमानुसार खातेदारी का नामान्तकरण खोलना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं खोला गया। इसका नुकसान आवंटी कृषक, जो कि एक ग्रामीण परिवेश का अनपढ अशिक्षित काश्तकार रहा है, क्यों उठायेगा ? आवंटी गंगासहाय ने आवंटन के बाद से ही विवादित आराजी में कार्य काश्तकारी किया है व फसल, घास, पाला आदि बोया है तथा उक्त आराजी में उसने एक कच्चा घर भी अपने जीवनकाल में ही बना लिया था तथा अपनी आराजी पर ही जंगली पशुओं से फसल की रक्षा के लिए चारों तरफ कच्चा डण्डा भी बना रखा है। जिस घर में आवंटी गंगासहाय जब तक जीवित रहा वह रखवाली के लिए रहता रहा तथा खाना पीना आदि भी वहीं पर करता था तथा उसके स्वर्गवास के बाद मिन अप्रार्थीगण, जो कि स्व० गंगासहाय के पुत्र व पौत्र होने के नाते कानूनी वारिसान हैं, उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है और उक्त आराजी में ही अपने पशु आदि को बांधते हैं और वहीं पर रिहायश करते आ रहे हैं।

तहसीलदार साहब द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) गंगासहाय पुत्र नाथू गुर्जर के नाम यानि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ पेश किया है जो विधि अनुसार चलने योग्य

11.25

आ. रेवन्यू ... प्रथम
...लवर (राज०)

नहीं है व काबिल खारिज है। तहसीलदार साहब ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आवंटी का परिवार इन्दोक (राडी) मं रहता है। आवंटी का माला 2 परिवार ग्राम दुहारमाला में भी रहता है। क्योंकि वहां उनकी उक्त आवंटनशुदा आराजी के अलावा अन्य खातेदारी की आराजी भी है। जिसकी सारसंभाल व देखरेख आवंटी का परिवार ग्राम माला दुहारमाला में भी रहता है। आवंटी का परिवार दोनों जगह रहता है जिन दोनों गांवों की दूरी मात्र 2–3 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजूदा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर चिन्तन–मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थी तहसीलदार थानागाजी ने नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रार्थी गंगासहाय पुत्र नाथू को दिनांक 03.09.1975 के आदेश द्वारा आवंटित आराजी खसरा नंबर 464, रकबा 1.26 हेक्टेयर, ग्राम दुहारमाला, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की भूमि का आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी का मुख्य आधार पटवारी हल्का दुहारचौगान की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 है, जिसमें उल्लेख है कि आवंटित भूमि पर संवत 2033 से 2063 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है, भूमि पड़त दर्ज है, तथा आवंटी या उनके वारिसानों द्वारा कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर कोई निर्माण नहीं पाया गया, तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर आवंटन को वैध बताते हुए दावा किया है कि आवंटन को 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, भूमि पर कब्जा एवं काश्त बदस्तूर चली आ रही है, कुछ वर्षों में बाजरा आदि फसलें बोई गई हैं, तथा पटवारी रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण एवं बिना सूचना के तैयार की गई है।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 के अनुसार, आराजी खसरा नंबर 464 किस्म बारानी तृतीय है, तथा राजस्व रिकॉर्ड में गंगासहाय पुत्र नाथू के नाम से गैर–खातेदारी दर्ज है। आवंटन सन् 1975 में हुआ था, किंतु आवंटी (जो अब फौत हो चुके हैं) एवं उनके वारिसानों द्वारा संवत 2049–2075 तक की गिरदावरी में कोई फसल नहीं बोई गई, तथा भूमि पड़त पड़ी हुई है। मौके पर कब्जा–काश्त नहीं पाया गया। अप्रार्थी पक्ष के दावों, जैसे कि कुछ वर्षों में फसल का अंकन, कच्चा घर का निर्माण, एवं कब्जा बदस्तूर, का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी का दावा कि पटवारी रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, बिना पर्याप्त प्रमाण के है, तथा राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी से भूमि की पड़त स्थिति स्पष्ट है। आवंटन नियमों के अनुसार, आवंटित भूमि पर निरंतर कृषि कार्य एवं शर्तो की पालना अनिवार्य है। लंबे समय तक भूमि पड़त रहने से आवंटन की वैधता प्रभावित होती है, भले ही आवंटन को समय व्यतीत हो चुका हो। खातेदारी नामांतरण न खोलने का दोष आवंटी की जिम्मेदारी नहीं मिटाता, क्योंकि नियमित काश्त एवं उपयोग आवश्यक है। पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया गया, जो आवंटन के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। अप्रार्थी के वारिसानों का निवास अन्य स्थान पर होना एवं भूमि की दूरी का तर्क अप्रासंगिक है, क्योंकि मौके पर कब्जा–काश्त नहीं पाया गया। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत यदि आवंटन नियमों व शर्तो की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

19.11.25

अ... रेवेन्यू ... (ग्रामीण)
अलवर (राज०)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा अप्रार्थी गंगासहाय पुत्र नाथू (एवं उनके वारिसानों) को दिनांक 03.09.1975 द्वारा आवंटित आराजी खसरा नंबर 464, रकबा 1.26 हेक्टेयर का आवंटन निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड से गैर–खातेदारी का नाम हटाकर भूमि को राज्य सरकार की संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाए। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)